रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-72

REGISTERED No. D(D.)72

CENTRAL LIBRARY GOVT OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 340] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 18, 1978/कार्तिक 27, 1900

No. 340] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 18, 1978/KARTIKA 27, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1978

सीमाशुल्क

सा. का. नि. 558 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं. 130-सीमाशुल्क तारीख 1 जुलाई, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में —

(क) "और सूअरों" शब्दों के स्थान पर, "सूअरों, अंगोरा शशकों और बतखों के बच्चों" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परन्तुक में, मद (1) और (4) में "पशुओं" शब्द के स्थान पर, "पशुओं और पक्षियों" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं. 227/फा. सं. 355/133/78 सी. शु.]

ए. बोर्डिया, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 1978

CUSTOMS

G.S.R. 558(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Department of Revenue and Banking No. 130-Customs dated 1st July, 1977, namely :—

In the said notification,—

(a) for the wrods "and pigs", the words. "Pigs, angora rabbits and ducklings" shall be substituted ;

(b) in the proviso, in items (1) and (4), for the word "animals", the words "animals and birds" shall be substituted.

[No. 227/F. No. 355/133/78-Cus. I]

A. BORDIA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978